FORM NO. III

APP-A
CRM-I

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी मुकाम कपासन

किशोरी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 (र.प.अ) नं. 102 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.2.2025	उपस्थित हाजिर। पत्रावली मे वकील पूर्व मे सुनी गयी संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी मौजा कुरथल के आ०न० 1567/1387 ~~रकबा~~ 0.03 हेक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी मौके कब्जे अनुसार आ०न० 713 रास्ता लगते से लगता है। प्रार्थीया की आराजी के उत्तरी दिशा मे रास्ते की आ०न० 713 है जो प्रकाशित नक्शा ट्रेस मे दर्शित किया हुआ है। प्रार्थीया की आराजी व रास्ते की आराजी के मध्य मे अन्य कोई आराजी स्थित नही है। परन्तु ऑन लाइन नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीया की आराजी व रास्ते के आराजी के मध्य पूर्व मे परिवर्तन कर रास्ता अंकित कर दिया गया है अतः उक्त को दुरस्त किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ०न० 1567/1387 की प्रार्थीया खातेदार है। प०ह० कुरथल के पास उपलब्ध शीट के उक्त आ०न० 1567/1387 की तरमीम मे उत्तर दिशा मे आ०न० 713 किस्म रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज है तथा पूर्व मे आ०न० 1566/1387 व पश्चिम दिशा मे 1549/1387 व दक्षिण दिशा मे 1387/576 दर्ज रेकार्ड व तरमीम है। परन्तु राजस्व भू-नक्शा से ऑनलाइन नकल निकालने पर उक्त आ०न० 1567/1387 के उत्तर मे आ०न० 1387/576 आ रही है जिसकी नकल साथ संलग्न है।	

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौडगढ

मौके पर प्रार्थीया का आ०न० 713 से लगकर कब्जा है। जो पीढ़ी से समय से चला आ रहा है। साथ ही प०स० सुरपुर के पास उपलब्ध कटर नीट व ऑनलाइन नक्शे की तरमीम मे मिलता है। इससे पत्रावली व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय लिया जाता है कि तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार कपासन नियमानुसार दुरस्ती किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़